

05/06/2024


पत्रावली पेश हुयी । अप्रार्थी की तलबी के बावजूद न्यायालय हाजा द्वारा बार-बार आवाज लगवायी गई कोई हाजिर नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली में बहस सुनी गई दौरानें बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबित राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम जखोड़ा पटवार हल्का बजावा के भूमि खसरा नं0 384/39 रकबा 1.5200 हैक्टयर, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबित सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार कियें जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 52/2024


निर्णय दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जखोड़ा में स्थित खसरा नम्बर 384/39 रकबा 1.5200 हैक्ट.,


अधिकारी चिड़ावा

की प्रार्थी व सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यमक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबित सीमाज्ञान दिनांक 06.11.2023 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवानें अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार चिडावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

चिडावा

उपखण्ड अधिकारी चिडावा